

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/राशिके/ RTE / 2013 / 394
प्रति,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16.01.13

विषय:—शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है। इस संबंध में समय—समय पर निर्देश जिलों को जारी किए गए हैं। चूंकि शैक्षणिक सत्र 2013–14 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है इसलिए कुछ बिन्दुओं के संबंध में स्थिति पुनः स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं:—

1. प्रायवेट स्कूलों में न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश:—शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (c) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल में कक्षा –1 में और यदि स्कूल में प्रि—स्कूल शिक्षा दी जाती है तो प्रि—स्कूल की प्रारंभिक कक्षा में पड़ोस के वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाएगा।

अधिनियम की धारा 12 (1) का प्रावधान निम्नानुसार है:—

“12 (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा;

(ख) धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा;

(ग) धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों


को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा:


पंरतु यह और कि जहां धारा 2 के खंड (ढ) में विर्निदिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खंड (क) से खंड (ग) के उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे।"

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार गैर अनुदान प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार बातों को ध्यान में रखा जाये :—

(i) प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश—	<p>अधिनियम में किए गए प्रावधान अनुसार गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल की कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाएगा। यदि स्कूल में प्रि-स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा नर्सरी/केजी-1/केजी-2 में प्रवेश दिया जाएगा लेकिन यदि कोई स्कूल कक्षा 6 से प्रारंभ होती है तो वहां अधिनियम का यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यदि प्रायवेट स्कूल में नर्सरी और कक्षा 1 दोनों में सीधे प्रवेश होता है तो दोनों में सीधे प्रवेशित बच्चों की संख्याका न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि नर्सरी में 40 बच्चे प्रवेशित होते हैं तो 10 सीट वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों से भरी जाएगी। यदि कक्षा 1 में 100 बच्चों की भर्ती होती है और इसमें से 40 बच्चे नर्सरी के तथा 60 बच्चे सीधे भरे जाते हैं तो कक्षा 1 में 60 बच्चों में से 15 बच्चों का प्रवेश आरक्षित सीट पर होगा।</p>
(ii) पड़ोस के बच्चों को प्रवेश:—	<p>अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश की सुविधा पड़ोस के वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को है। यदि उससे न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों की पूर्ति नहीं होती है तो शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में परिभाषित पड़ोस की सीमा के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों के लिए आरक्षित सीट की पूर्ति नहीं हो पाती है तो पड़ोस की विस्तारित सीमा के बच्चों को लाभ मिलेगा। पड़ोस की सीमा और पड़ोस की विस्तारित सीमा नियम में परिभाषित हैं। यह</p>

	<p>परिभाषाएं नियमानुसार हैं—</p> <p>नियम 2(ट)–“पड़ोस की सीमा” से अभिप्रेत है, कक्षा एक से पांच की दशा में, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो, तथा नगरीय क्षेत्र में, वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो।</p> <p>नियम 2(ज)–“पड़ोस की विस्तारित सीमा” से अभिप्रेत है, खण्ड (ट) के अधीन परिभाषित पड़ोस की सीमा के पड़ोस क्षेत्र।</p> <p>अतः गैर अनुदान प्रायवेट स्कूलों में अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता का कम निम्नानुसार होगा:—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) जिस गांव (ग्रामीण क्षेत्र) या जिस वार्ड (नगरीय क्षेत्र) में स्कूल स्थिति है उस गांव/वार्ड के बच्चों को पहले प्रवेश दिया जाएगा। (ii) इसके बाद यदि सीट रिक्त रहती है तो पड़ोस की सीमा के गांव/वार्ड के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। (iii) इसके बाद भी यदि सभी आरक्षित सीट नहीं भरी जाती हैं तो पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत आने वाले गांव/वार्ड के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
(iii) वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग को प्रवेश—	<p>गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश का लाभ वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों को ही मिलेगा।</p> <p>(अ) वंचित समूह:—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) अनसूचित जाति (ii) अनसूचित जन जाति (iii) विमुक्त जाति (iv) वनग्राम के पट्टाधारी परिवार/वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारपत्रधारी परिवार (v) निःशक्त बच्चे <p>(ब) कमज़ोर वर्ग:— गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।</p>

<p>(iv) प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज़:-</p> 	<p>(अ) निवास का प्रमाण पत्र:- पड़ोस/पड़ोस की सीमा/पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड (ii) ग्रामीण क्षेत्र का जाबै कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) (iii) पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल/पानी बिल (iv) कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। <p>(ब) वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग का प्रमाण:-</p> <p>वंचित समूह:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) वंचित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचितजन जाति/विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो वहां परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। (विमुक्त जाति में शामिल है—बंजारा, हाबुदा, भातु, विजारिया, सनदुत्या, चन्द्रवेड़िया, बैरगिया एवं सनोरिया) (ii) बच्चों के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। (iii) निःशक्त बच्चों के लिए जिला मेडिकल बार्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। <p>कमज़ोर वर्ग:-</p>
---	--

	<p>कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं। अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी BPL प्रमाण पत्र बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम हैं तो यह दस्तावेज मान्य होगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।</p>
(v)प्रवेश के लिए आवेदन:-	<p>गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश पाने के लिए आवेदक को सुविधा हो इसके लिए आवेदन का प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप के आधार पर प्रायवेट स्कूल अपना नया प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रारूप प्रपत्र अनुसार हस्तालिखित या टाइप किया हुआ आवेदन जमा कर सकता है। आवेदन का प्रारूप अनुसूची 'अ' में दर्शित है।</p> <p>आवेदन पत्र सीधे स्कूल में, निर्धारित अंतिम तिथि 08.02.2013 तक जमा किया जाएगा। स्कूल में आवेदन जमा करने में कठिनाई होने पर आवेदन, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी अंतिम तिथि के पूर्व जमा किया जा सकेगा।</p> <p>अगले शैक्षणिक सत्र 2013–14 के लिए गैर अनुदान प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 या प्रि-स्कूल कक्षा की प्रवेशित कक्षा में अधिनियम के अन्तर्गत स्कूल के पड़ोस तथा पड़ोस की सीमा की बसाहटों के बच्चों के न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:-</p> <p>(i) स्कूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि— 08 फरवरी 2013</p> <p>(ii)लाटरी द्वारा चयन के लिए निर्धारित तिथि— 15 फरवरी 2013</p> <p>यदि किन्हीं कारणों से न्यूनतम सीट की पूर्ति नहीं हो पाती है तो पड़ोस की विस्तारित सीमा सहित आवेदन लेने की तिथियां पृथक से सूचित की जाएगी।</p> 

(vi) लाटरी द्वारा प्रवेशः—	अधिनियम के अंतर्गत स्कूल में प्रवेश के लिए स्कीनिंग वर्जित है। अतः प्राप्त आवेदनों में से रैण्डम पद्धति से ही प्रवेश किया जा सकेगा। यदि निर्धारित सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं तो सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश मिलेगा। निर्धारित सीट से अधिक आवेदन हैं तो लाटरी द्वारा नाम निकाल कर प्रवेश दिया जाएगा। लाटरी की पूर्व निर्धारित तिथि की सूचना पालकों को दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी उक्त तिथि को प्रत्येक स्कूल हेतु पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे।
(vii)प्रवेशित बच्चों के नाम पोर्टल में दर्ज करना:-	इस संबंध में पोर्टल पर उचित व्यवस्था है।
(viii)प्रायवेट स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति:-	प्रायवेट स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशा निर्देश शासन स्तर से अलग से जारी किए जा रहे हैं। यह प्रतिवर्ष मार्च माह में देय होगी।
(ix)पड़ोस की सीमा की बसाहटों की जानकारी :-	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जन शिक्षक या अन्य के सहयोग से प्रत्येक स्कूल के पड़ोस की सीमा और पड़ोस की विस्तारित सीमा में आने वाली बसाहटों की जानकारी तैयार कराई जायेगी। यह जानकारी प्रत्येक गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल को दी जाएगी। इससे यह सुविधा होगी कि प्रत्येक प्रायवेट स्कूल के पास यह जानकारी रहेगी कि उसके लिये न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देने के लिए पड़ोस की सीमा क्या होगी और कौन –कौन सी बसाहटों के बच्चे इससे लाभान्वित होगे। इसी प्रकार वार्डवार एवं ग्रामवार यह जानकारी भी तैयार करायी जाए कि उस वार्ड/ग्राम के पड़ोस में कौन –2 से प्रायवेट स्कूल आते हैं। इससे बच्चों के पालकों / अभिभावकों को भी यह सहज जानकारी हो सकेगी कि उन्हें किन–2 स्कूलों में प्रवेश की इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। यह जानकारी तैयार कर इसका प्रचार प्रसार भी स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार विज्ञप्ति जारी कर किया जाये और जन प्रतिनिधियों तथा पार्षद / पंच को भी इसकी जानकारी दी जाये।

(x) जन प्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण:-	<p>अधिनियम के प्रावधान की व्यवस्था के लिए स्थानीय निकाय के पार्षदों / पंचों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया जाए। इससे उन्हें अधिनियम के प्रावधान की जानकारी दी जाये और उनका सहयोग लिया जाए। VER / WER में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के नाम दर्ज रहते हैं। अतः 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के नाम VER / WER से प्राप्त कर पार्षदों / पंचों को उपलब्ध कराया जाये। इससे वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के पालकों एवं अभिभावकों को गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल में बच्चों को नामांकित करने में सुविधा होगी।</p>
(xi) आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण	<p>आगंनवाड़ी में मुख्य रूप से वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चे नामांकित होते हैं। अतः जिला महिला बाल विकास अधिकारी से समन्वय कर आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण किया जाये और आगंनवाड़ी में नामांकित 3–6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के पालकों/अभिभावकों को इस सुविधा की जानकारी दी जाये।</p>
(xii) 25 प्रतिशत से अधिक सीमा में प्रवेश	<p>अधिनियम में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश का प्रावधान है लेकिन यदि कोई स्कूल चाहें तो इसमें अधिक संख्या में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दे सकेंगे। आवश्यक यह है कि यह बच्चे निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करते हों। फीस की प्रतिपूर्ति ऐसे सभी कमज़ोर वर्ग एवं वंचित समूह के पात्र बच्चों के लिए होगी।</p>

2. शेष 75 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश—गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में शेष 75 प्रतिशत सीटों में भी प्रवेश के लिए स्कीनिंग नहीं होगी। इन बच्चों के लिए प्रवेश के लिए प्रायवेट स्कूल अपनी पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा करेंगे और इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी देंगे। इसी प्रक्रिया के तहत बच्चों को प्रवेश मिलेगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देश की प्रति (अनुसूची ब) संलग्न है। अतः इन बच्चों को रैण्डम तरीके से अर्थात लाटरी से प्रवेश मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी स्कूल के प्रवेश की नियमावली में दर्शायी जाये और सार्वजनिक जानकारी के लिए इसे प्रदर्शित किया जाए। जिन स्कूलों की अपनी बेबसाइट है, वे प्रवेश की नियमावली बेबसाइट पर भी प्रदर्शित

करें। प्रायवेट स्कूल द्वारा प्रवेश के लिये लाटरी निकालने की निर्धारित तिथि की जानकारी बच्चों के पालकों / अभिभावकों को भी दी जाये।

3. **प्रायवेट स्कूल द्वारा फीस अधिसूचित किया जाना:**—शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 (4) (छ) में यह प्रावधानित है कि स्कूल प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र से पूर्व स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस अधिसूचित करेगा।

यह अधिसूचित फीस ही व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विचार में ली जाएगी। इससे अतिरिक्त कोई फीस यदि ली जाती है तो वह कैपिटेशन फीस की श्रेणी के अंतर्गत आएगी, जो एक दण्डनीय कृत्य होगा और इसके लिए अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।

कृपया उक्त दिशा निर्देश जिले स्थित सभी प्रायवेट स्कूलों को भेजना सुनिश्चित करे।

S. Singh -
(संजय सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 16.01.13

पृ.क्रमांक/राशिके/RTE/2013/395
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, म.प्र।
3. आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल म.प्र।
4. आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल, म.प्र।
5. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र।
6. समस्त कलेक्टर म.प्र।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र।
8. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यलय म.प्र।
9. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, समस्त जिले म.प्र।
10. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र।
11. समस्त विकासखड़ स्ट्रोत केन्द्र समन्वयक, म.प्र।

S. Singh -
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(अ.) 13

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

यी धारा 12(1) (C) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए आवेदन

प्रभाना

प्रधानाध्यापक / प्राचार्य

— (स्कूल का नाम)

जिला — म.प्र.

विषय — नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवट स्कूल में वंचित समूह एवं कमज़ोर वर्ग के परिवार के बच्चों को का प्रवेश।

मैं अपने बालक/बालिका — (नाम), जन्म तिथि (dd— mm— yyyy) पुत्र/पुत्री — (माता व पिता का नाम) को आपके स्कूल में कक्षा 01 में या नर्सरी में प्रवेश दिलाना चाहता/चाहती हूँ।

(i) मैं स्कूल के पड़ोस स्थित गाँव/वसाहट/शहर के घार—— का/की निवासी हूँ। उसके प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न है। यह दस्तावेज की प्रति स्वप्रमाणित है।

(जिस दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की गई है, उसमें करें।

- (i) मतदाता परिवर्य नन्हे
- (ii) राशनकार्ड
- (iii) भू अधिकार पत्रिका
- (iv) ग्रामीण क्षेत्र में जाव कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम)
- (v) पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेस/विद्युत बिल/पानी का बिल
- (vi) अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो!

(ii) मैं निम्नलिखित वंचित समूह अथवा कमज़ोर वर्ग से हूँ
(जिस श्रेणी के हो, उसे चिन्हित उसमें करें)

वंचित समूह—

- (i) अनुसूचित जाति
- (ii) अनुसूचित जनजाति
- (iii) विमुक्त जाति
- (iv) वन ग्राम पट्टाधारी परिवार
- (v) 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे)

कमज़ोर वर्ग-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।

इसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत है। जिस दस्तावेजन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की गई है, उसे ✓ बनाए।

- (i) जाति प्रमाण पत्र का दस्तावेज
- (ii) जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र। ✓
- (iii) बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
- (iv) वन ग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिकार पत्र

कृपया अधिनियम के प्रावधान के तहत बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने का कष्ट करे।

भवदीय

हस्ताक्षर
(पालक/अभिभावक/अभिभाविका का
नाम व पता)

F. No. 1-15/2010-EE-4
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy

...
Room No. 429-A, 'C' Wing, Shastri Bhavan,
New Delhi, dated 23rd November, 2010

Subject: Guidelines under section 35(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 regarding procedure for admission in schools under section 13(1) and section 12(1)(c) of the RTE Act – regarding.

Section 13(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 provides, inter-alia, that while admitting a child, no school or person shall subject the child or his/her parents to any 'screening procedure'. Section 2(o) of the RTE Act defines the term 'screening procedure' to mean the 'method of selection for admission of a child, in preference over another, other than a random method'. Further, section 12(1)(c) of the Act provides that unaided schools and specified category schools shall admit at least 25% of the strength of class I, children belonging to weaker section and children belonging to disadvantaged group from the neighbourhood and provide them free and compulsory education till completion of elementary education. Further, where the school admits children at pre-primary level, such admissions shall be made at that level.

2. The Ministry has received representations from several unaided and aided schools seeking clarification on the procedure to be followed for admission. The Ministry held a meeting with various stakeholders on the 14th August, 2010 to elicit their views for formulating a guideline for admissions, which would be consistent with the spirit of the RTE Act, specifically with section 13(1) read with section 2(o) of the Act.

3. The objective of the provisions of section 13(1) read with section 2(o) is to ensure that schools adopt an admission procedure which is non-discriminatory, rational and transparent, and that schools do not subject children and their parents to admission tests and interviews in order to decide whether they will admit a child or not. Admission tests and interviews are generally a tool for profiling and eliminating children, and therefore screening to assess a child's 'intelligence' should be prohibited. The RTE Act is anchored in the belief that availability of equal educational opportunities to children belonging to different social and economic background will reinforce the idea of equality enshrined in our Constitution, and ensure that children are not discriminated on the basis of social or economic background or any such criteria. There is need for moving towards composite classrooms with children from diverse backgrounds, rather than


homogenous and exclusivist schools. It is an academically established point that heterogeneity in the classroom leads to greater creativity.

4. Keeping these objectives in view, the following guidelines are issued under section 35(1) of the RTE Act, 2009

- (i) With regard to admissions in class I (or pre-primary class as the case may be) under section 12(1)(c) of the RTE Act in unaided and 'specified category' schools, schools shall follow a system of random selection out of the applications received from children belonging to disadvantaged groups and weaker sections for filling the pre-determined number of seats in that class, which should be not less than 25% of the strength of the class
- (ii) For admission to the remaining 75% of the seats (or a lesser percentage depending upon the number of seats fixed by the school for admission under section 12(1)(c), in respect of unaided schools and specified category schools, and for all the seats in the aided schools, each school should formulate a policy under which admissions are to take place. This policy should include criteria for categorization of applicants in terms of the objectives of the school on a rational, reasonable and just basis. There shall be no profiling of the child based on parental educational qualifications. The policy should be placed by the school in the public domain, given wide publicity and explicitly stated in the school prospectus. There shall be no testing and interviews for any child/parent falling within or outside the categories, and selection would be on a random basis. Admission should be made strictly on this basis.

5. The aforementioned guideline should be brought to the knowledge of all concerned for necessary compliance.

This issues with the approval of the competent authority.



(Vikram Sahay)
Director,
Telefax: 2338 1470